



सत्यमव जयते


राजस्थान सरकार

# वार्षिक प्रतिवेदन

2021-2022

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
राजस्थान, जयपुर

# राजस्थान सरकार



वार्षिक प्रतिवेदन  
2021-2022

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
राजस्थान, जयपुर

# अनुक्रमणिका

| विषय सामग्री  | पृष्ठ संख्या |
|---|--------------|
| <b>ग्रामीण विकास</b>                                  |              |
| पृष्ठभूमि   | 1            |
| योजनाओं का उद्देश्य एवं संक्षिप्त विवरण               | 1            |
| वर्ष 2020–21 के अभिनव प्रयास एवं मुख्य उपलब्धियां     | 2            |
| उपलब्धियां—एक नजर में                                 | 7            |
| (अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं                         |              |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन                        | 9            |
| महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना   | 17           |
| प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण                       | 24           |
| संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना                | 28           |
| सांसद आदर्श ग्राम योजना                               | 31           |
| सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम                          | 35           |
| श्यामप्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (एसपीएमआरएम)          | 38           |
| डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना                             | 41           |
| (ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएं                           |              |
| विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना                    | 44           |
| मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना                  | 59           |
| महात्मा गाँधी जन भागीदारी विकास योजना                 | 66           |
| स्व—विवेक जिला विकास योजना                            | 69           |
| डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम                        | 72           |
| मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम                        | 75           |
| मेवात क्षेत्रीय विकास योजना                           | 78           |
| मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना                    | 82           |
| महात्मा गाँधी आदर्श ग्राम योजना                       | 83           |
| श्री योजना  | 86           |
| स्मार्ट विलेज   | 88           |
| (स) केन्द्रीय/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना           |              |
| बायोफ्यूल प्राधिकरण                                   | 91           |
| (द) निगरानी तंत्र                                     | 94           |
| (य) अन्य  |              |
| बीपीएल सेंसस 2002                                     | 98           |
| राज्य ग्रामीण बी.पी.एल. सूची                          | 99           |
| सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC-2011)    | 100          |
| सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी | 104          |
| अरावली  | 106          |

|  |            |     |
|--|------------|-----|
| <b>पंचायती राज</b>   |            |     |
| पृष्ठभूमि  | 112        |     |
| I राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएँ एक दृष्टि में                                  | 113        |     |
| II पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण   | 113        |     |
| III सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने में उपयोग       | 116        |     |
| IV पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण     | 117        |     |
| V जनप्रतिनिधियों की जांच   | 118        |     |
| VI प्रशासन गांवों के संग   | 118        |     |
| VII कोविड –19 की रोकथाम हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा कराये गये विशेष कार्य/प्रयास | 119        |     |
| VIII वित्तीय प्रबन्धन  | 119        |     |
| 1. अंकेक्षण एवं विशेष लेखा जाँच  | 121        |     |
| 2. महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति                              | 121        |     |
| 3. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति                   | 121        |     |
| पंचायती राज की योजनाएँ   |            |     |
| 1. पन्द्रहवां वित्त आयोग   | 122        |     |
| 2. षष्ठम राज्य वित्त आयोग  | 129        |     |
| 3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान   | 134        |     |
| 4. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन   | 135        |     |
| 5. ग्राम पंचायत कार्यालय भवन निर्माण   | 136        |     |
| 6 पंचायत समिति कार्यालय भवन निर्माण  | 137        |     |
| 7. अम्बेडकर भवन निर्माण  | 137        |     |
| 8. विलेज मास्टर प्लान  | 137        |     |
| 9. जनता जल योजना   | 138        |     |
| 10. ग्राम पंचायत विकास योजना   | 138        |     |
| 11. स्वामित्व योजना  | 138        |     |
| 12. विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना  | 139        |     |
| स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)   | 142        |     |
| जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग  | 147        |     |
| इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान                                | 157        |     |
| परिशिष्ट   |            |     |
| ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज  |            |     |
| ग्रामीण विकास का राज्य स्तरीय प्रशासनिक संरचना                                     | परिशिष्ट-1 | 165 |
| पंचायती राज का राज्य स्तरीय प्रशासनिक संरचना                                       | परिशिष्ट-2 | 166 |
| राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएँ                                | परिशिष्ट-3 | 167 |
| पंचायत समिति स्तरीय प्रशासनिक संरचना   | परिशिष्ट-4 | 168 |
| ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशासनिक संरचना   | परिशिष्ट-5 | 169 |
| ग्रामीण विकास मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूचना                 | परिशिष्ट-6 | 170 |
| पंचायती राज मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूचना                   | परिशिष्ट-7 | 171 |

# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

## पृष्ठभूमि

- देश के चहुंमुखी विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड़ लिया और अति पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुँचाने की दिशा में प्रयास किये गये, लेकिन राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ-साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे “विशिष्ट योजनाएँ एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग” का नाम दिया गया। 1 अप्रैल, 1999 से इस विभाग का नाम “ग्रामीण विकास विभाग” किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। अतः जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद् में विलय करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी तरह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय किया गया है। मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 73/2003 दिनांक 25.08.2003 की पालना में मंत्रिमण्डल सचिवालय की अधिसूचना संख्या F.27(2)Cab/2003 दिनांक 18.03.2006 एवं विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ4 (66) पराज/पीसी/विलय/2003/638 जयपुर, दिनांक 23.03.2006 के द्वारा वर्तमान में इस विभाग का नाम “ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग” है।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन समर्त योजनाओं का क्रियान्वयन अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

## ग्रामीण विकास

विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में क्रियान्वित योजनाओं का उद्देश्य वार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

### (अ) स्वरोज़गार द्वारा गरीबी उन्मूलन

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना (एन.आर.ई.टी.पी.)

**(ब) रोज़गार सृजन द्वारा गरीबी निवारण**

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना

**(स) क्षेत्रीय विकास द्वारा “गरीबी एवं क्षेत्रीय असंतुलन” निवारण**

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

**(द) ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना कार्य**

- संसद सदस्य रथानीय क्षेत्र विकास योजना
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन
- विधायक रथानीय क्षेत्र विकास योजना
- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना
- महात्मा गाँधी जन भागीदारी विकास योजना
- स्व-विवेक जिला विकास योजना
- मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना
- महात्मा गाँधी आदर्श ग्राम योजना
- श्री योजना
- स्मार्ट विलेज

**(य) गरीब/शोषित हेतु कल्याण योजनाएं**

- प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण

**(र) अन्य**

- डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना
- बायोफ्यूल प्राधिकरण—राजस्थान

**वर्ष 2021–22 के अभिनव प्रयास एवं मुख्य उपलब्धियाँ**

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं रोज़गार की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ—साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अनेक नए कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। पूर्व के कार्यक्रमों को संशोधित कर उन्हें और अधिक

प्रभावशील बनाने तथा विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अंचलों में जन सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अधिकतम अवसर एवं गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियाँ मय मुख्य परिवर्तनों एवं परिवर्धनों से सम्बन्धित कार्यक्रम के विवरण में दी गई हैं। यहाँ वर्ष 2021–22 में किये गये उन अभिनव प्रयासों एवं मुख्य उपलब्धियों का विवरण दिया जा रहा है, जिनके फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया में अनेक गुणात्मक एवं क्रियात्मक सुधार किये गये हैं और उनके निरन्तर अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना 1 अप्रैल 2008 से राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है। वर्ष 2009–10 में 2, अक्टूबर, 2009 से इस योजना का नाम “**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना**” कर दिया गया है।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत माह दिसम्बर, 2021 तक 7965.05 करोड़ रुपये के व्यय से 2962.73 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।
- सभी को आश्रय—2022 के मद्देनजर 01 अप्रैल, 2016 से इन्दिरा आवास योजना को सुदृढ़िकृत कर इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा रु. 1.20 लाख है। राजस्थान राज्य के सभी जिलों में नवीन आवास निर्माण हेतु रु. 1.20 लाख की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
- उक्त निर्धारित अनुदान सहायता के अतिरिक्त महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत 90 अकुशल मानव दिवस की अधिकतम राशि रु. 19,890 स्वचछ भारत मिशन—ग्रामीण के तहत 12,000 रु. देय है। उक्तानुसार आवास निर्माण हेतु कुल रु. 1,51,890 तक की सहायता प्रदान की जा रही है।
- इच्छुक लाभार्थी को राष्ट्रीयकृत बैंक से रु. 70,000/- का ऋण भी उपलब्ध कराने का प्रावधान एवं मैसन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है।
- वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत 3,97,006 के लक्ष्यों के विरुद्ध 3,56,719 (89.85:) आवासों की स्वीकृतिया जारी की गयी। स्वीकृत आवासों में से माह दिसम्बर 2021 तक योजनान्तर्गत 94,302 आवास पूर्ण कराये गये।

- माननीय सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जाने हेतु क्रियान्वित संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 7423.77 लाख रुपये के व्यय से 1341 कार्य पूर्ण कराये गये हैं। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव और स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु दो वर्षों (2020–21 और 2021–22) के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का प्रचालन बंद कर दिया गया था। दिनांक 10 नवम्बर, 2021 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये प्रति संसद सदस्य रु. 200.00 लाख के साथ योजना का प्रचालन शुरू कर दिया गया है।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 5824.83 लाख रुपये के व्यय से 394 विकास कार्य कराये गये हैं।
- माननीय विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जाने हेतु क्रियान्वित विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 21842.49 लाख रुपये के व्यय से सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के 5144 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य के 8 जिलों यथा सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बारां, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ में क्रियान्वित डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 223.38 लाख रुपये के व्यय से 94 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- 5 जिलों यथा राजसमन्द, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले की 18 पंचायत समितियों में क्रियान्वित मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक योजना के तहत 401.35 लाख रुपये के व्यय से 78 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- राज्य के 2 मेव बाहुल्य जिलों यथा अलवर जिले की 10 मेव बाहुल्य पंचायत समितियों (लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुण्डावर, किशनगढ़बास, कठूमर, उमरेण, कोटकासिम, मालाखेड़ा एवं गोविन्दगढ़) एवं भरतपुर जिले की 4 पंचायत समितियों (नगर, डीग, कामां एवं पहाड़ी) में क्रियान्वित मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक योजना के तहत 977.75 लाख रुपये के व्यय से 278 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख-रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'गुरु गोलवलकर जन

**भागीदारी विकास योजना**” वर्ष 2014–15 से माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के क्रम में लागू की गई है। वर्तमान में इस योजना का नाम परिवर्तित कर ‘**महात्मा गाँधी जन भागीदारी विकास योजना**’ कर दिया गया है। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक योजना के तहत 2,342.62 लाख रुपये के व्यय से 172 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

- विभाग द्वारा आई. डब्ल्यू. एम. एस. सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसके द्वारा विभिन्न योजनाओं की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। आई. डब्ल्यू. एम. एस. सॉफ्टवेयर में योजनाओं से सम्बंधित खर्च, उपयोगिता प्रमाण पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं एवं पूर्ण कार्यों की प्रविष्टि परिसम्पत्ति रजिस्टर में की जाती है।
- “मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना” वर्ष 2014–15 में राज्य में लागू की गई है। योजना का उद्देश्य निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाने एवं आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। योजना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जायेगी। योजना के लिए संसाधन केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से कन्वर्जेंस, एमपी/एमएलए स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, कॉरपोरेट सोशियल रेस्पोन्सिबिलिटी फंड (सीएसआर), जनभागीदारी एवं राज्य सरकार की ओर से योजना के लिए आवंटित फंड से जुटाये जायेंगे।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश एवं बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2014–15 की अनुपालना में मंत्रीपरिषद आज्ञा 29/2014 दिनांक 28.02.2014 के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 04.03.2014 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य में “श्री” योजना लागू करने हेतु विभागीय आदेश जारी किये गये।
- “**श्री (S.H.R.E.E.) योजना**” के तहत Sanitation- ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण व तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन Health - स्वास्थ्य व स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता Rural Connectivity- गाँव की आन्तरिक सड़कों मय नाली निर्माण एवं अप्रोच रोड Education-शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं Energy- ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था” आदि 5 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या के आधार पर चरणबद्ध समग्र विकास किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
- दिनांक 11 अक्टूबर, 2014 को ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने हेतु “**सांसद आदर्श ग्राम योजना**” को राज्य में लागू किया गया है।

- दिनांक 21 फरवरी, 2016 को भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन का शुभांश्व किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, वास्तविक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके फॉरवर्ड ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है।
- आवास योजना के प्रत्येक लाभार्थी को आवास अधिकार कार्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, जिसमें लाभार्थी को देय समस्त लाभों की जानकारी व शिकायत निवारण हेतु सम्प्रक्रम नम्बर उपलब्ध करवाया गया है।
- योजनान्तर्गत सभी श्रेणी में 5 प्रतिशत विकलांग पात्र परिवारों एवं पात्र अल्पसंख्यकों की श्रेणी में 15 प्रतिशत लक्ष्यों की सीमा में इनको लाभान्वित करने हेतु आईएवाई की स्थाई प्रतीक्षा सूची की वरीयता में शिथिलता प्रदान की गयी है।
- पंजीकरण व शिकायतों के निवारण हेतु राज्य स्तर पर एवं सभी जिला स्तर पर हेल्प लाईन 181 पर उपलब्ध है।
- अधिक लक्ष्य वाले जिलों के स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त नम्बर के साथ समय—समय पर अपील जारी की गयी।
- अपूर्ण आवास एवं योजना के लाभ से वंचित परिवारों से समाचार पत्रों के माध्यम से नामजद अपील द्वारा अनुरोध किया गया।
- लाभार्थियों को समय पर निर्माण कार्य कराने व समय पर अनुदान राशि प्राप्ति में सहायता हेतु ग्राम स्तर पर आवास सहायक का नियोजन किया गया।
- पंचायत समिति से स्वीकृत भामाशाह/जनआधार कार्ड व PFMS के माध्यम से सीधे राशि हस्तान्तरित की गयी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के अन्तर्गत आजीविका विकास कार्यक्रम के तहत 33 जिलों के 155 ब्लॉकों में 6,945 गांवों के 4,15,980 परिवारों को पशुपालन व कृषि गतिविधियों से लाभान्वित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत 8,508 कृषि सखी व 8,466 पशु सखी कार्यरत हैं।
- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एम.के.एम.सी.) के अन्तर्गत आजीविका विकास कार्यक्रम के तहत 13 जिलों के 18 ब्लॉकों में 799 गाँवों के 1,09,621 परिवारों को पशुपालन व कृषि गतिविधियों से लाभान्वित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत 2,110 कृषि सखी व 1,774 पशुसखी कार्यरत हैं।

- सरस डेयरी के सहयोग से उदयपुर जिले के बाघपुरा ब्लॉक की 24 ग्राम पंचायतों के 46 गाँवों की 1,800 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से 49,855 लीटर बकरी दूध का संग्रहण कर कुल रु. 15,64,022 की आय की गई।
- राज्य स्तर पर विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलों का नियमित दौरा करने की व्यवस्था लागू की गई है। अधिकारियों को आवंटित जिलों में प्रत्येक माह में एक बार क्षेत्रीय निरीक्षण आवश्यक किया गया है। इसी प्रकार जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के भी क्षेत्र निरीक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यालय के अधिकारियों एवं जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट में कार्यक्रम के तहत पायी गई कमियों एवं आवश्यक सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिये जाकर सम्बन्धित जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।
- विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराने हेतु विभागीय वेबसाईट [www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in) पर विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की मार्ग-दर्शिका, महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश, प्रगति आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
- मुख्यालय पर महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में समय—समय पर बैठकें आयोजित करने से महत्वपूर्ण मुद्दों के निस्तारण में तेजी आयी है।

### **उपलब्धियाँ – एक नजर में**

- रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत विभाग जहां एक ओर केन्द्र सरकार से अधिकतम संसाधन प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है, तो वही दूसरी ओर क्षेत्रीय विषमताओं व असन्तुलन को दूर करने तथा जनता की भागीदारी के साथ गाँवों में आर्थिक विकास हेतु सुदृढ़ आधारभूत संसाधनों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार से राशि जुटा रहा है।
- वर्ष 2020–21 में ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से कुल 270.87 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये हैं। कुल उपलब्ध राशि 2442.50 करोड़ रुपये के विपरीत कुल 805.95 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो कुल उपलब्ध राशि का 33 प्रतिशत है।

- इसके अतिरिक्त महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में वर्ष 2020–21 में 9,796.04 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 4605.37 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।
- वर्ष 2020–21 में 1,97,146 लक्ष्यों के विरुद्ध 2,02,522 स्वीकृति जारी कर 1,48,273 आवास पूर्ण करवा लिये गये हैं।
- वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से कुल 721 करोड़ रुपये की प्राप्तियों सहित कुल उपलब्ध राशि 2,630.83 करोड़ रुपये के विपरीत 390.75 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।
- इसके अतिरिक्त महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 7,965.05 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 2962.73 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।
- वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत 3,97,006 के लक्ष्यों के विरुद्ध 3,56,719 (89.85:) आवासों की स्वीकृतिया जारी की गयी। स्वीकृत आवासों में से माह दिसम्बर 2021 तक योजनान्तर्गत 94,302 आवास पूर्ण कराये गये।

## अरावली

### (एसोशियेशन फॉर रुरल एडवांसमेंट थ्रू वॉलेन्टरी एक्शन एण्ड लोकल इन्वॉल्ट्वमेंट)

**स्थापना का उद्देश्य** :— अरावली की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1994 में बजटीय घोषणा के तहत् सरकार और गैर सरकारी (स्वैच्छिक संगठनों) के बीच साझेदारी को सशक्त करने एवं राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु की गई।

**कार्यव्यवस्था** :— अरावली का पंजीकरण 23 जुलाई 1994 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अंतर्गत किया गया। वर्तमान में अरावली का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग है। अरावली के अध्यक्ष माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार हैं। संस्था की कार्यकारिणी समिति, शासकीय परिषद एवं साधारण सभा में राजस्थान सरकार के वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, आयोजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, वन एवं पर्यावरण एवं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव भी पदेन सदस्य हैं। अरावली की साधारण सभा में राजस्थान सरकार के पदाधिकारियों के अतिरिक्त 36 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी पदेन सदस्यों के रूप में शामिल हैं।

अरावली की सोच है कि राज्य में समुदायों के चहुमुखी और व्यापक विकास के लिए ऐसे साझे प्रयासों एवं अभिगमों की आवश्यकता है जो किसी एक ही संस्था या प्रणाली द्वारा संभव नहीं है। विकास का लाभ सभी लोगों, विशेषकर गरीब एवं वंचित लोगों तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्ति एवं संस्थाएं परस्पर साझेदारी से कार्य करें।

इस संदर्भ में अरावली का यह ध्येय है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार, पर्याप्त संख्या में प्रभावी स्वैच्छिक संस्थाएं हो, जो पिछड़े व वंचित समुदाय के साथ व उनके लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें। साथ ही, अरावली ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करने हेतु प्रयासरत है जिसमें सरकार एवं स्वैच्छिक संस्थाएं अपनी—अपनी शक्तियों व अनुभवों को जोड़कर, राज्य के विकास कार्य में साझेदार बन सकें तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से सरकार के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आम लोगों के समक्ष प्रभावी रूप से क्रियान्विति में अपना सहयोग प्रदान कर रही है।

राजस्थान राज्य के विकास में अरावली ने अपना वृहद योगदान दिया है, अरावली ने पिछले 25 वर्षों से ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन व विकास, स्वास्थ्य, राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं का क्षमतावर्धन तथा गरीब परिवारों को सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ाव आदि के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अरावली ने राज्य में कुल 150 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का सशक्तिकरण कर उपरोक्त क्षेत्रों में योगदान दिया है। इस कार्य में अरावली को विभिन्न दानदाता संगठनों ने अपना आर्थिक सहयोग दिया है जिनमें केन्द्र एवं राजस्थान सरकार, विश्व बैंक, आगा खाँ

फाउण्डेशन, सर रतन टाटा ट्रस्ट, यू.एन.डी.पी., पॉल हेमलिन फाउण्डेशन, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, दसरा, चोलामण्डलम CSR आदि प्रमुख हैं।

### अरावली के प्रमुख उद्देश्य हैं :—

1. सरकार व गैर सरकारी संगठनों के मध्य साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
2. राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं एवं सरकारी एवं विभागीय कार्मिकों का विभिन्न प्रशिक्षणों एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमतावर्धन करना।
3. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु परियोजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन, परियोजनाओं का मूल्यांकन व प्रबोधन कार्य करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु उचित प्रोटोगिकी का अनुसंधान कर पहचान करना व स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से पायलट करना।
5. स्वैच्छिक प्रयासों और स्थानीय भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु समग्र रणनीति व दृष्टिकोण को मजबूत करना।
6. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हुए प्रभावी प्रयासों का दस्तावेजीकरण करना व राज्य के प्रमुख हितभागियों के समक्ष रखना।
7. सरकारी एजेंसियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य साझेदारी व संवाद को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं, बैठकों का संचालन व प्रयोजन करना।

**विशेषता—** अरावली ने राज्य में कुल 150 से अधिक स्वयंसेवी संगठनों का क्षमतावर्धन किया है जो राजस्थान के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। अरावली ने पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन के तहत गरीब परिवारों की आजीविका संवर्द्धन व सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं से जुड़ाव का कार्य, कृषि, जल संसाधन, परिवार स्वास्थ्य एवं व्यवसायिक स्वारथ्य परियोजना आदि क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों के जुड़ाव हेतु प्रयासरत है।

### अरावली के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

1. **प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम —** प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित करना। राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का क्षमतावर्धन व प्रशिक्षण कार्य। ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन व विकास, स्वास्थ्य, गरीबी आंकलन, आजीविका संवर्धन, जल एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करना। पंचायतीराज संगठनों के सदस्यों की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में क्षमतावर्धन।
2. **मानवीय एवं संस्थागत विकास कार्यक्रम —**
  - विभिन्न विषयों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
  - सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के कार्मिकों में प्रबन्धन कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
  - सूचनाओं का आदान प्रदान व परस्पर ज्ञान बांटना।
  - प्रबन्धन, क्रियाकलापों व शोध के लिए दक्ष सहायता उपलब्ध करवाना।

3. अनुसंधान एवं ज्ञान (नॉलेज बिल्डिंग) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब समुदायों हेतु आजीविका संवर्धन करना व सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, नवाचार प्रयासों को प्रोत्साहित कर दस्तावेजीकरण करना।

- अच्छे अनुभवों व सीख का दस्तावेजीकरण एवं प्रचार-प्रसार।
- विभिन्न विकास के कार्यक्रमों का मूल्यांकन, प्रबोधन एवं योजनाओं के प्रभावी आंकलन कार्य करना। अरावली ने भारत सरकार, राजस्थान सरकार व अन्य संगठनों हेतु आंकलन कार्य किए हैं।
- अध्ययन, शोध एवं नवाचार कार्य।
- अरावली ने ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर शोध एवं अध्ययन कार्य किए हैं विशेषकर वर्षा आधारित कृषि, जलग्रहण विकास कार्यक्रम, पशुपालन, वानिकी, समुदाय आधारित लघुवित्त कार्यक्रम, तथा राज्य में आजीविका के क्षेत्र में शोध कार्य आदि।
- अरावली ने कृषि विभाग हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 8 जिलों के 54 ब्लाक एवं 54 ग्राम पंचायतों हेतु विकेन्द्रिकृत नियोजन कार्य किए हैं तथा राज्य के सभी जिलों के कृषि अधिकारियों हेतु नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- अरावली ने राजस्थान में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का डेटा बेस प्रबंधन कार्य किए हैं।
- अरावली द्वारा पंचायतों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष राज्य के 8 जिलों में अलग-अलग स्तर पर पंचायतीराज प्रतिनिधियों से चर्चा कर पंचायतीराज प्रतिनिधियों की दक्षता वर्धन हेतु आवश्यकताओं को दस्तावेजीकृत कर विभागीय स्तर पर प्रस्तुत किया है।

4. सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य साझेदारी को सशक्त करना—

- राज्य एवं जिले स्तर पर इंटरफेस कार्यशाला (संवाद बैठक) का आयोजन करना।
- स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक (प्री-बजट संवाद बैठक) माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष आयोजित करना।
- राज्य में कई विषयों को लेकर राज्य स्तरीय फोरम का गठन एवं संचालन करना। इसी क्रम में कोविड-19 के दौरान सजग पहल प्लेटफार्म की शुरुआत स्वैच्छिक संगठनों तक सरकारी जानकारी पहुंचाने एवं दक्षतावर्धन हेतु किया गया है।
- राज्य में गैर सरकारी संगठनों का आंकलन तथा सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन कार्य राज्य एवं केन्द्र सरकार हेतु करना।
- राज्य में गैर सरकारी संगठनों की बाल अधिकारिता आधारित कार्यप्रणाली पर क्षमतावर्धन।
- राज्य के गैर सरकारी संगठनों की सतत विकास के लक्ष्यों पर क्षमतावर्धन एवं संवेदनशील बनाना।

वर्तमान में अरावली निम्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है:-

1. **सप्त स्तम्भ परियोजना :-**

अरावली द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से पंचायतीराज विभाग के साथ समन्वय में सप्त स्तम्भ परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के तीन जिलों के ब्लॉक टोंक (टोंक), सम (जैसलमेर) एवं चौहटन (बाड़मेर) की समस्त ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत मुख्यरूप से निम्न उद्देश्यों को लेकर कार्य किया जा रहा है :—

- पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन को लेकर एक पंचवर्षीय रणनीति एवं दृष्टि विकसित करना। इसके अंतर्गत वर्तमान में किये जा रहे पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि क्षमतावर्धन प्रयासों के प्रभावों का आंकलन, संदर्भ व्यक्तियों की क्षमताओं का आंकलन एवं किए जा रहे प्रशिक्षणों के प्रभाव को समझा जा रहा है। इस बाबत् 8 जिलों में अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर विभागीय स्तर पर प्रेषित की गई है।
- ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक प्रशिक्षण प्रक्रिया को ठोस व प्रभावी बनाने हेतु वर्तमान प्रशिक्षण मॉड्यूल का आंकलन एवं आवश्यकतानुसार मॉड्यूल का सुदृढ़िकरण करना।
- इस परियोजना के अंतर्गत बच्चे एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) प्रक्रिया को सशक्त करने हेतु मार्गदर्शिका का भी निर्माण यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। इस दस्तावेज के माध्यम से ग्राम पंचायतों की बाल केन्द्रित जिम्मेदारियों को पुख्ता किया जा सकेगा एवं बाल हितेषी ग्राम पंचायत तैयार करने में मदद मिलेगी। उक्त दस्तावेज में :—
  - बाल पंचायत क्यों ?
  - बाल पंचायत का गठन
  - आपणी योजना आपणो विकास प्रक्रिया में “बाल पंचायतों” की भूमिका आदि पर चर्चा करते हुए निम्न सूचकांक तैयार किए गए :—
    - सुपोषित एवं सम्बल पंचायत (कुपोषण व गरीबी से मुक्त)
    - शिक्षित पंचायत— (जहां कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है)
    - स्वास्थ्य पंचायत— माँ व बच्चा दोनों स्वरथ
    - स्वच्छ पंचायत— खुले में शौच से मुक्त, सभी परिवार के पास पीने के पानी की पहुंच एवं जहां सभी संरक्षित स्वच्छता व्यवहारों की पालना हो।
    - सशक्त पंचायत— सभी को समान अधिकार हो।
    - सनैदी पंचायत— बाल हितेषी पंचायत।
    - समावेशी पंचायत— सभी के लिए समान अवसर

2. **स्वैच्छिक संगठन, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व राज्य स्तरीय संवाद बैठक—**

अरावली द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को सहयोग करते हुए स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की

अध्यक्षता में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह बैठक दिनांक 6 फरवरी 2021 को ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई जिसमें राज्य स्तर से विभिन्न 60 स्वैच्छिक संगठन, सिविल सोसायटी व उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर राज्य बजट हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

**3. राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में टीकाकरण कार्यक्रम को सशक्त करने हेतु विशेष अभियान—**

अरावली, अलाईन्स फॉर इम्युनाईजेशन व हेल्थ के तकनीकी सहयोग एवं यूनिसेफ, जयपुर के वित्तीय सहयोग से राज्य के पांच आकांक्षी जिले करौली, बारां, धौलपुर, सिरोही व जैसलमेर में टीकाकरण का लाभ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं प्रक्रिया में छूटे परिवारों तक सुनिश्चित करने हेतु किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इस वर्ग को चिन्हित कर संबंधित आंगनबाड़ी सेन्टर पर पंजीकृत करवाया जा रहा है। साथ ही परिवार को टीकाकरण के लाभ की जानकारी भी प्रदान की जा रही है।

**4. राज्य के 16 जिलों में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को सशक्त करने हेतु यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से एसबीसीसी समन्वयक प्रदान कर कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करना एवं क्षेत्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्ति एवं संस्थानों के माध्यम से टीकाकरण से छूटे हुए व्यक्तियों को टीकाकरण प्रक्रिया में शामिल करना। इस कार्यक्रम अंतर्गत अरावली मुख्य रूप से द्वितीय डोज का कवरेज बढ़ाने पर स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्य कर रहा है। अरावली द्वारा इस कार्यक्रम अंतर्गत 16 जिलों में लगभग 3081 प्रभावशाली व्यक्तियों एवं संस्थानों को चिन्हित कर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ा गया है।**

**5. प्राकृतिक स्टोन क्षेत्र में मानव अधिकार संरक्षण को प्रोत्साहित करना:-**

अरावली द्वारा व्यवसायिक स्वरूप कार्यक्रम के अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पत्थर खनिकों की आजीविका सशक्तिकरण हेतु कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में अरावली द्वारा सस्टेनेबिलिटी फॉरम ऑफ नेचुरल स्टोन नामक मल्टीस्टेकहोल्डर संगठन को तैयार किया गया है। फॉरम पत्थर उद्योग में मानव अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है।

**6. अरावली द्वारा चोलामण्डलम मुरुगुप्पा समुह के सहयोग से “अरावली-चोलामण्डलम ट्रक चालक समुदाय (ड्राईवर व क्लीनर) आजीविका सशक्तिकरण परियोजना” संचालित की जा रही है—**

उक्त परियोजना अंतर्गत अरावली द्वारा राज्य में कुल 23497 ट्रक ड्राइवर्स व क्लीनर्स हेतु स्वास्थ्य कैम्प आयोजित कर विशेषकर आंखों की जांच की गई। साथ ही परियोजना अंतर्गत 10810 ट्रक ड्राइवर्स व क्लीनर्स को चश्मा भी वितरित किए गए। अरावली द्वारा भीलवाड़ा एवं निम्बाहेड़ा क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर्स हेतु जांच केन्द्र “सक्षम” की भी स्थापना की गई ताकि वंचित ट्रक ड्राइवर्स द्वारा उक्त सेवाओं का लाभ लिया जा सके।

अभी तक स्वास्थ्य शिविर कैम्पों का आयोजन कोटा, पाली, अजमेर, अलवर एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आयोजित किया गया है। आगामी वर्ष में चोलामण्डलम समूह के सहयोग से ट्रक ड्राइवर्स के परिवारों की वैकल्पिक आजीविका सुनिश्चित करने हेतु आजीविका संवर्धन परियोजना, बच्चों हेतु छात्रवृत्ति एवं ट्रक ड्राइवर्स की आंखों की जांच हेतु सक्षम विजन सेंटर की आउटरीच बढ़ाई जावेगी ताकि ट्रक ड्राइवर्स द्वारा सुरक्षित ड्राइविंग तकनीकी को अपनाया जा सके एवं राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए।

### नवीनतम योजना –

- राज्य में पत्थर व्यवसायियों के साथ मिलकर पत्थर व्यवसाय सप्लाई चेन में आने वाले समस्त हितभागियों एवं विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना—आरिसा व हिवोस के वित्तीय सहयोग से।
- सजग पहल प्लेटफार्म के माध्यम से राजस्थान के 100 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों को कोविड प्रबन्धन, बाल अधिकार संरक्षण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण प्रक्रिया के सहजीकरण हेतु प्रशिक्षित किया जावेगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य के स्वैच्छिक संगठनों की दक्षता में वृद्धि जिससे वे राज्य के ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभा सकें। इस कार्य को यूनिसेफ के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से किया जाएगा।
- करौली जिले में 5 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना एवं करौली जिले की सभी ग्राम पंचायतों में GPDG कैम्पेन।
- पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों हेतु इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर में शोध एवं नवाचार सेल की स्थापना, जिसका संचालन अरावली द्वारा किया जाना है।
- राजस्थान राज्य में 25 ट्रक ड्राइवर परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति चोलामण्डलम के सहयोग से उपलब्ध कराया जाता है।
- राज्य में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रणनीति तैयार करना एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लक्ष्यों के प्राप्ति को लेकर सकारात्मक वातावरण तैयार करना।

